अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016.

सं0 17/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 42/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2008 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 492(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(i) पहले पैरा में, सारणी 1 और दृष्टांत के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सारणी-1

क्रम सं0	**खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)**	**प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (लाख रुपए में)**					
		प्रति मिनट 300 पाउच तक		**प्रति मिनट 301 से 750 पाउच तक**		**प्रति मिनट 750 पाउच और उससे अधिक**	
(1)	**(2)**	**(3)**		**(4)**		**(5)**	
		पान मसाला	**पान मसाला, जिसमें तंबाकू है**	**पान मसाला**	**पान मसाला, जिसमें तंबाकू है**	**पान मसाला**	**पान मसाला, जिसमें तंबाकू है**
		(3क)	**(3ख)**	**(4क)**	**(4ख)**	**(5क)**	**5)ख(**
1.	1.00 रु0 तक	18.45	33.29	30.19	54.48	67.09	121.06
2.	1.01 रु0 से 1.50 रु0 तक	27.68	49.94	45.29	81.71	100.64	181.58
3.	1.51 रु0 से 2.00 रु0 तक	35.06	63.25	57.36	103.50	127.48	230.01
4.	2.01 रु0 से 3.00 रु0 तक	52.58	94.88	86.05	155.25	191.21	345.01
5.	3.01 रु0 से 4.00 रु0 तक	67.90	122.51	111.11	200.47	246.90	445.49
6.	4.01 रु0 से 5.00 रु0 तक	84.87	153.14	138.88	250.59	308.63	556.86
7.	5.01 रु0 से 6.00 रु0 तक	101.85	183.76	166.66	300.70	370.35	668.23
8.	6.00 रु0 से अधिक	101.85 + 16.61 x (की- 6)	183.76+ 29.96 x (की- 6)	166.66 + 27.17 x (की- 6)	300.70 + 49.03 x (की- 6)	370.35 + 60.38 x (की- 6)	668.23 + 108.95 x (की- 6)
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है ।					

दृष्टांत: किसी पान मसाला पाउच के लिए ,जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 8.00 रुपए (अर्थात्' की') है और जिसे किसी ऐसी मशीन की सहायता से पैक किया गया है जिसकी वह अधिकतम गति जिस पर

वह उक्त खुदरा विक्रय कीमत वाले पान मसाला पाउच की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है , 600पाउच है ,प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर1 66.66+27.17x (8-6) लाख रुपए = 221 लाख रुपए होगी ।

(ii) पैरा 3 में, सारणी 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सारणी-2

क्रम सं0	शुल्क	पान मसाला के लिए शुल्क का अनुपात	पान मसाला, जिसमें तंबाकू है, के लिए शुल्क का अनुपात
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उदग्रहणीय शुल्क	0.3958	0.8350
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क	0.1250	0.0619
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय आपदा समाश्रित शुल्क	0.4792	0.1031
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उदग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0	0.0
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0	0.0.".

[फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 42/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 6/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च201 ,5 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 136(अ), तारीख 1 मार्च201 ,5 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।